(1)

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

न्यू पब्लिक कालीजिएट इण्टर कालेज

हरदत्तपुर सिकरीगंज गोरखपुर

पत्रांक – आई0बी0/मान्यता/ 977 दिनांक–01-04-2016

विषय :– **इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/~~अतिरिक्त~~ वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद की *वर्ष– 2018* की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त~~ वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनयम, 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

राजेश कुमार (को०)

Manager
New Public Collegiate Inter College
Hardattpur, Sikriganj, Gorakhpur

PRINCIPAL
New public Collegiate
Inter College Hardattpur
Sikariganj Gorakhpur

(2)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू0 16,000.00 (रू0 5000=00 एवं रूपये 3000=00 प्रति वर्ग/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-11-2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लीयरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगें।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वैज्ञानिक वर्ग नवीन	सामान्य हिन्दी	अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित
इण्टर वाणिज्य वर्ग नवीन	सामान्य हिन्दी	बहिखाता एवं लेखाशास्त्र, व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, अधिकोषण तत्व, औद्योगिक संगठन, गणित तथा प्रारम्भिक साख्यिकी

टिप्पणी :- उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छ:) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(कामता राम पाल)
अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

पृष्ठाकन सं0- आई0वी0/मान्यता/ दिनांक- 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
4. इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग वाराणसी को अभिलेख हेतु।

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

Manager
New Public Collegiate Inter College
Hardattpur, Sikriganj, Gorakhpur

PRINCIPAL
New public Collegiate
Inter College Hardattpur
Sikariganj Gorakhpur

प्रपत्र-2

हाईस्कूल परीक्षा

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
न्यू पब्लिक कालीजिएट उ0मा0विद्यालय,
हरदत्तपुर सिकरीगंज, गोरखपुर।

पत्रांक मा0शि0प0 / मान्यता / वाराणसी / 2765 / दिनांक 25-1-2010

विषय: सीधे / हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था न्यू पब्लिक कालीजिएट उ0मा0विद्यालय, हरदत्तपुर सिकरीगंज, गोरखपुर को बालक / बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2011 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्त विहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयो सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

सामान्य प्रतिबन्ध

1— प्रबन्धतन्त्र कक्षा 9 की कक्षाये संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

2— इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एव परिषद को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय। अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वत समाप्त समझी जायेगी।

3— साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।

4— इस पत्र मे अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने श्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी।

5— विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबधतंत्र द्वारा अपने श्रोतो से की जाय।

6— नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

क— संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता संबधी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

ख—

टिप्पणी— इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति छः माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव

पृष्ठांकन संख्या मा0शि0प0 / मान्यता / / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1—जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर।
2—सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर।
3—हाईस्कूल परीक्षा संस्थागत अनुभाग वाराणसी।
4—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्यालय, इलाहाबाद

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

पी0एस0यू0पी0 (वा0) 12 मा0शि0प0--30-07-09---50,000 (कम्प्यूटर / आफसेट)।

Manager
New ... Collegiate Inter College
..., Sikriganj, Gorakhpur

PRINCIPAL
New public Collegiate
Inter College Hardattpur
Sikariganj Gorakhpur

(4)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर।

सेवा मे,

✓ **प्रबन्धक**
न्यू पब्लिक जू0हा0 स्कूल हरदत्तपुर, सिकरीगंज
क्षेत्र–बेलघाट, गोरखपुर।

पत्रांक/ 2652-59 /2008–09 दिनांक: 09-7-08

विषयः–अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संशोधित राजाज्ञा सं0 /646/15.06.97–18 एस (7)/89 दिनांक 13.08.97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णय एवं संस्तुति पर आपके विद्यालय को (कक्षा 6 से 8 तक) **बालक** वर्ग विद्यालय की अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में कुल 3 (तीन) वर्ग होंगें। अतिरिक्त उपवर्ग की अनुमति तथा कक्षा संचालन हेतु पृथक से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

उपर्युक्त शासनादेश में निहित मानक के अनुसार आपके विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का पद अनुमन्य होगा ।

1–	प्रधानाध्यापक	–	एक
2–	सहायक अध्यापक	–	चार (जिसमें त्रिभाषा सूत्र योजनान्तर्गत स0अ0, संस्कृत भाषा, विज्ञान, गणित के पद सम्मिलित है)।
3–	लिपिक	–	एक
4–	अनुचर	–	एक

कुल सात पद अनुमन्य होगा।

इस प्रकार आपके विद्यालय में कुल जनशक्ति सात की अनुमन्य होगी। जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट अध्यापक (जैसा आवेदन किया गया हो) सम्मिलित माने जायेंगें। त्रिभाषा अध्यापक के लिए अलग से पद सृजन की आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकृत पदों पर स्थायी रूप से चयन की कार्यवाही विज्ञापन की अनुमति प्राप्त कर तीन माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ0प्र0 शासन द्वारा गठित समिति को होगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर।

पृ0सं0: / /2008–09 : तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2– सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
4– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,गोरखपुर।
5– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
6– जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
7– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

(मनोज कुमार मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर।

Manager
New Public Collegiate Inter College
Hu...ttpur, Sikriganj, Gorakhpur

PRINCIPAL
New public Collegiate
Inter College Hardattpur
Sikariganj Gorakhpur

(5)

प्रेषक –

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक

न्यु पब्लिक स्कूल, हरदत्तपुर, सिकरीगंज,
विकास खण्ड–बेलघाट, गोरखपुर ।

पत्रांक / 5438-44/2007–08 दिनांक : 03-10-07

विषय :– प्राथमिक विद्यालय, की नवीन अस्थाई मान्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में जनपदीय मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की अस्थाई मान्यता शासनादेश सं0–230/15–6–96–18 एस–(7) दिनांक 18.1.96 एवं शासनादेश संख्या–1873(1)/15–6–96–18 एस0 (7)/89 दिनांक 10.09.98 के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सत्र 2007–08 से प्रदान की जाती है:–

1. परिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाये।
2. अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्य नहीं है। अर्ह अध्यापकों की नियुक्ति, अनुमोदन, अनुमति प्राप्त कर चालू सत्र में करा लिया जाये।
3. अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाये।
4. बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कक्षा उपवर्ग बंद व समाप्त स्थानान्तरित न किये जाये।
5. विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क लिया जायेगा तथा उसका लेखा–जोखा रखा जायेगा।
6. इस कार्यालय के अनुमति के बिना किसी अर्ह प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त नहीं की जायेगी।
7. विभागीय नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन तथा अनियमित कार्यों की दशा में मान्यता निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।
8. स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु पांच वर्ष के अन्दर लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हुये आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. नियमानुसार पांच वर्ग मान्य होंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर

पृ0सं0 / /2007–08 दिनांक :

प्रतिलिपि – निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / विकलांग कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र – बेलघाट, गोरखपुर।
4. नगर शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

Manager
New Public Collegiate Inter College
Hurduttpur, Sikriganj, Gorakhpur

PRINCIPAL
New public Collegiate
Inter College Hardattpur
Sikariganj Gorakhpur

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर